भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय संचार ब्यूरो
सूचना भवन, लोधी रोड, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली

फाइल सं. 14/0002/2526-एमआर&सी

दिनांक-30/06/2025

परामर्शिका

विषय: दर नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में-

दिनांक 01/08/2020 से लागू प्रिन्ट मीडिया विज्ञापन नीति, 2020 का खंड 7.6.1 कहता है कि **"सभी पैनलबद्ध प्रकाशन, प्रस्तावित दर एवं समय-समय पर निर्धारित अन्य नियम और शर्तों के आधार पर, सीबीसी विज्ञापनों के सटीक और समयबद्ध प्रकाशन को सुनिश्चित करने के लिए सीबीसी के साथ दर अनुबंध में प्रवेश करेंगे।"**

2. इसके अतिरिक्त, नीति का खंड 7.6.2 कहता है कि "दर अनुबंध दो (02) वर्ष की अवधि तक वैद्य होगा ।"

3. नीति में यह अनिवार्य किया गया है कि दर अनुबंध के नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में सीबीसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।

4. प्रकाशकों को दस्तावेज और नमूने की प्रति ऑनलाइन जमा करानी होगी। सीबीसी दस्ती/डाक से भेजे गए दस्तावेज स्वीकार नहीं करेगा।

5. सभी पैनलबद्ध प्रकाशनों को **दिनांक 01/07/2025 से 31/07/2025 के बीच** सीबीसी की वेबसाइट **(https://cbcindia.gov.in/cbc/vendor-login)** पर उपलब्ध ऑनलाइन दर नवीनीकरण आवेदन पत्र भरना आवश्यक है।

6. इसके अतिरिक्त, यह बताया गया है कि पैनलबद्ध प्रकाशनों की निम्नलिखित श्रेणी दर नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र होंगे:-

क) जिन प्रकाशनों के पास दिनांक 31/12/2025 तक का दर अनुबंध है।

ख) जो प्रकाशन सीबीसी के साथ पैनलबद्ध थे, परंतु जो अपूर्ण दस्तावेज़ीकरण या अन्य कारणों से मौजूदा ब्लॉक वर्ष (जनवरी 2024-दिसंबर 2025) के लिए दर नवीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए, इस विंडो के दौरान वे भी आवेदन कर पाएंगे।

7. कृपया सभी प्रकाशन ध्यान दें कि ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तारीख दिनांक 31/07/2025 (शाम 6:00 बजे) है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

01/07

(गौरव खरे)
निदेशक (एमआर&सी)